छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
(2004 – 2005)

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2004–2005)

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

विभाग का नाम	वन विभाग
वन मंत्री	श्री गणेश राम भगत
संसदीय सचिव, वन	श्री महेश बघेल
प्रमुख सचिव, वन	श्री पी जॉय उम्मेन
विशेष सचिव, वन	श्री एल.एन. सूर्यवंशी
संयुक्त सचिव, वन	श्री जयसिंह म्हस्के
अवर सचिव,वन	श्री के. आर. बर्मन

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	डॉ. एस.सी. जेना

वन विभाग के कार्य : एक दृष्टि में

वन विभाग छत्तीसगढ़, " राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता को" वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के बहुआयामी उपयोग हेतु संरक्षित एवं संवर्द्धन के लिये कृत संकल्पित है। संक्षेप में विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :-

- ❖ राज्य की समृद्ध जैव-सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- ❖ राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- ❖ संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षा एवं समेकित विकास करना।
- ❖ वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- ❖ वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- ❖ अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- ❖ वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- ❖ गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- ❖ वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
1.	सामान्य परिदृश्य	1
2.	छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति–2001	2
4.	प्रशासनिक संरचना एवं मानव संसाधन विकास	3
5.	विकास योजनाएँ	8
6.	संयुक्त वन प्रबंधन	11
7.	वन संरक्षण	19
8.	भू–सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम	22
9.	कार्य आयोजना	24
10.	परियोजना निर्माण/अनुसंधान विस्तार	25
11.	वन्यप्राणी संरक्षण	28
12.	उत्पादन	32
13.	वित्त एवं बजट	34
14.	लघु वनोपज का संरक्षण एवं संवर्धन	34
15.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	37

वन विभाग

1. सामान्य परिदृश्य

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
स. पारिस्थितिकीय प्रकार		
संरक्षण वन	18212.99	30.47
उत्पादन वन	22844.11	38.22
सामाजिक वन	18715.30	31.31
योग	**59772.40**	**100.00**
द. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र *		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

2. छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता

छत्तीसगढ़ राज्य जिसका विस्तार 17°46' से 24°6' उत्तर अक्षांश तथा 80°15' से 84°51' पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र (135224 वर्ग कि. मी.) है जिसका लगभग 44.2: भौगोलिक क्षेत्र (59772 वर्ग किलोमीटर) वनों से आच्छादित हैं और इसमें 4 प्रमुख नदी प्रणालियों, क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और बानगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉं हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आद्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. हैं ।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (डिप्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (ऐनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेंलैनौक्जाईलान) प्रजातियॉ हैं। मध्य छत्र में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (कोलीस्ट्रेन्थरा कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियॉ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं तथा मध्य भारत के प्रतिनिधि वन्यप्राणियों जैसे शेर (पैन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पैन्थरा पार्ड्स), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस सेक्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणियों जैसे वन भैसा (बूबालस बूबालस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहूमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी, एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वागीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति –2001

उपरोक्त पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है। संभवतः देश का यह प्रथम राज्य है जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।

नई वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

3.1 वन नीति–2001 के मूल उद्‌देश्य

- राज्य के विपुल संसाधन को निरंतरता के आधार पर स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु चिन्हांकित कर उनके उन्मुक्त उपभोग का सामुदायिक नियंत्रण एवं प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित एवं प्रबंधित संसाधन के रूप में मान्य करना ।

- प्रमुख वनोपज(लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति से वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना ।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावर्णीय स्थायित्व तथा पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य के जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भूक्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू--जल स्तर को उच्चतम उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ एवं छोटी लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

4. प्रशासनिक संरचना एवं मानव संसाधन विकास

4 (अ) प्रशासनिक संरचना

वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है :

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विभागाध्यक्ष	डॉ. एस.सी. जेना
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वन्यप्राणी	श्री आर.के. शर्मा
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विकास/योजना/संयुक्त वन प्रबंधन/ विश्वखाद्य कार्यक्रम	श्री धीरेन्द्र शर्मा
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रशासन/समन्वय	श्री एन.के. भगत
5	मुख्य वन संरक्षक	कार्य आयोजना	डॉ अनूप भल्ला
6	मुख्य वन संरक्षक	परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार	डॉ. ए. ए. बोआज
7	मुख्य वन संरक्षक	वित्त/बजट	डॉ0 जे.के. उपाध्याय
8	मुख्य वन संरक्षक	उत्पादन	श्री आर. सी. रेगर
9	मुख्य वन संरक्षक	भू–सर्वे / संरक्षण	श्री रामप्रकाश

वन विभाग की क्षेत्रीय प्रशासनिक ईकाईयॉ निम्नानुसार है :

- क्षेत्रीय वन वृत्त — 06
- कार्य आयोजना वन वृत्त — 01
- क्षेत्रीय संचालक प्रोजेक्ट टाईगर — 01
- क्षेत्रीय वन मंडल — 32
- अनुसंधान विस्तार एवं कार्य आयोजना वन मंडल — 09
- सूचना प्रौधोगिकी मंडल — 01
- राष्ट्रीय उद्यान — 03
- वन्य प्राणी अभ्यारण्य — 11
- वन विद्यालय (वनपाल प्रशिक्षण) — 01
- वनरक्षक प्रशिक्षण शाला — 02
- उप वन मंडल — 74
- परिक्षेत्र — 279
- परिक्षेत्र सहायक वृत्त — 872
- बीट — 3287

वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के कार्यपालिक/लिपिकीय अमले का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	पद प्रवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	भा. व. से. अधिकारी	115	102	13
2	राज्य वन सेवा अधिकारी (रा.ल.व.संघ के स्वीकृत 26 पद सम्मिलित करते हुए।)	142+26 =168	149	19
3	लेखा अधिकारी	3	1	2
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0
5	स्टाफ आफिसर	1	1	0
6	वन क्षेत्रपाल	330	334	(+) 4
7	उप वन क्षेत्रपाल	525	515	10
8	वनपाल	1343	1228	115
9	वनरक्षक	5429	4734	695
10	कार्यालय अधीक्षक	12	9	3
11	लेखा अधीक्षक	17	12	5
12	मुख्य लिपिक	75	63	12

13	लेखापाल / सहायक ग्रेड – 2	552	531	21
14	सहायक ग्रेड – 3	733	593	140
15	वरिष्ठ निज सहायक	3	6	+3
16	निज सहायक	29	20	9
17	शीघ्र लेखक	60	23	37
18	स्टेनो टाइपिस्ट	0	6	(+) 6
19	मानचित्रकार	96	44	52
20	हल्के वाहन चालक	160	119	41
21	भारी वाहन चालक / क्रेन चालक	132	108	24
22	दफतरी	4	24	(+) 20
23	चौकीदार / अर्दली	455	377	78
24	ट्रक / ट्रेक्टर क्लीनर	35	15	20
25	ट्रक / ट्रेकटर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	123	32	91
26	सुपरवाईजर	2	1	1
27	जमादार	2	2	0
28	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	59	43	16
29	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा नियुक्ति)	1	0	1
30	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा नियुक्ति)	9	0	9
31	डाटा एण्टी आपरेटर (संविदा नियुक्ति)	103	0	103
32	संचालक बजट (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1	0
33	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	3	0	3
34	सहा. संचालक जन सम्पर्क (प्रतिनियुक्ति पर)	1	0	1
35	आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	0	1
36	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	0	2
37	एस. ए. एस. लेखापाल (प्रतिनियुक्ति पर)	3	0	3
38	सहा. उप निरीक्षण (प्रतिनियुक्ति पर)	7	0	7
39	पुलिस कास्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	28	0	28

क्षेत्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु मूल स्तर पर प्रशासनिक इकाई –बीट इसके उपर क्रमशः परिक्षेत्र सहायक वृत्त (रेंज असिस्टेन्ट सर्किल) परिक्षेत्र (रेंज) उप वन मंडल (सब –डिवीजन) वनमंडल (डिवीजन) तथा वन संरक्षक वृत्त (सर्किल) है ।

उपरोक्त क्षेत्रीय इकाईयों के अलावा विशिष्ट कार्यो जैसे – वन्यप्राणी प्रबंधन, सामाजिक वानिकी एवं अनुसंधान / विस्तार, कार्य आयोजना एवं प्रशिक्षण हेतु पृथक संरचना है ।

(ब) मानव संसाधन विकास

वन विभाग में क्षेत्रीय कर्मचारियों को विभाग के तकनीकि कार्यों में प्रशिक्षण देने तथा सेवारत कर्मचारियों के पुनर्स्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिये एक वन विद्यालय, जगदलपुर एवं दो वनरक्षक प्रशिक्षणशाला क्रमशः सक्ती तथा महासमुंद में स्थित है।

वन विद्यालय जगदलपुर में वनपाल स्तर के क्षेत्रीय वनाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण छः माह की अवधि का है तथा वर्ष में दो प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक 50 प्रशिक्षणार्थियों का आयोजित किया जाता है।

महासमुंद एवं सक्ती में स्थित वनरक्षक प्रशिक्षणशाला में 50–50 वनरक्षकों को एक सत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इनका एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित है। वनरक्षक प्रशिक्षणशाला में प्राविण्य सूची में प्रथम आये वनरक्षक को वनपाल प्रशिक्षण में भेजे जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2004–05 में इन प्रशिक्षणशालाओं में निम्नानुसार नियमित प्रशिक्षण दिया गया :–

प्रशिक्षणशाला का नाम	*प्रशिक्षण सत्र*	*प्रशिक्षित किये जा रहे / किये गये वनपाल / वनरक्षक*
वन विद्यालय, जगदलपुर	जून 04 – दिसम्बर 04	36 वनपाल
	जनवरी 05 – जून 05 (प्रचलित)	51 वनपाल
वनरक्षक प्रशिक्षणशाला, सक्ती	जून 04 – मई 05	50 वनरक्षक
वनरक्षक प्रशिक्षणशाला, महासमुंद	जून 04 – मई 05	50 वनरक्षक

इन प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संयुक्त वन प्रबंधन/ लोक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों को भी वानिकी के विभिन्न विधाओं में व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रशिक्षण आयोजित किये ज़ा रहे है । साथ ही वन कर्मचारियों के लिये भी रिफ्रेशर कोर्स संचालित किये जा रहे है।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में बजट मद–मांग संख्या–41–2406 आदिवासी क्षेत्र उप योजना 8(0102) 6516 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज औषधि रोपण योजना अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिये रू. 455.96 लाख एवं वन विकास उपकर निधी 6699 (10–2406) के अंतर्गत 59.56 लाख का आबंटन वन संरक्षकों को किया गया है। इसमें से प्रशिक्षण के लिये कुल रू. 32 लाख की राशि रखी गई है। प्रशिक्षण संस्थानवार प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं उन्हें वृत्तवार आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	*प्रशिक्षण शाला का नाम*	*वृत्त का नाम*	*आबंटित राशि (रू. लाख में)*	*माह दिसंबर 04 तक प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या*
1.	जगदलपुर	कांकेर, जगदलपुर	10	599
2.	महासमुन्द	दुर्ग, रायपुर	9	635
3.	सक्ती	बिलासपुर, सरगुजा	13	324
	योग		32	1558

इसके अतिरिक्त वृत्तों में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को उनके दायित्वों के सफल निर्वहन हेतु विभिन्न तकनीकि एवं विधिक विषयों पर वृत्त स्तर में प्रशिक्षिण कार्यक्रम आयोजित किये जाकर 3200 वनरक्षक , 600 वनपाल/ उप वनक्षेत्रपाल, 600 वनक्षेत्रपाल/सहायक वन संरक्षकएवं क्षेत्रीय उप वन संरक्षकों इस प्रकार लगभग 4400 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीकियों के वन प्रबंधन में उपयोग, ग्रामीण विकास, संयुक्त वन प्रबंधन, वन्यप्राणी प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. आदि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ।

छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य अधिकारी / कर्मचारियों को निम्नानुसार राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया :—

प्रशिक्षण संस्था का नाम	*अधिकारी जिन्हें भेजा गया*
NITT- GIS New Delhi, Kothari Agri. management Centre Nilgiri Cuoonor, TERI New Delhi, WII Dehradun, Central Food Tech. Research Institute Mysur, IIM Lucknow, A.P. Forest Academy Hyderabad, IIFM Bhopal, N.I.O. Goa, IIM Bangalore, Forestry Training Institute Jaipur , Xavier Institute Of management Bhubneshwar, W.W.F.N. I. New Delhi, H.I.P.A. Shimla, T.F.R.I Jabalpur, P.C.E.H.L.R.D. Aurobrindravan, R.C.N.A.Eco-Dev. Board Kalkata, F.R.I. Dehradun, I.G.N.F.A. Dehradun, Bannerghatt, Nature Camp. Bangalore, V.V.M.I. Management Training& Research Goa, V.M.N.I. Co-op. Management Pune	75 मा.व.से. संवर्ग
Forest Survey of India, Dehradun.	01 वन संरक्षक 07 वन मंडलाधिकारी 06 स.व.सं. 07 वन क्षेत्रपाल
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल	12 स.व.सं. 14 वन क्षेत्रपाल
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल	02 स.व.स.
राज्य वन महाविद्यालय देहरादून	10 स.व.स.
Eastern Forest Ranger College, Kurseong	08 वन रक्षक 08 उप वनक्षेत्रपाल 08 वन क्षेत्रपाल
Director Soil Conservation Training Center DVC Hazaribag (Jharkhand)	02 स.व.स. 02 वन क्षेत्रपाल

5. विकास योजनाएँ :–

5.1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का कियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित मुख्यतः निम्न श्रेणी के कम घनत्व वाले विरले एवं अत्यधिक खुले हुए क्षेत्रों मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांश आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति व अग्नि प्रसार की वजह से ये वन बिगड़े वनों के रुप मे आ गये हैं। इन क्षेत्रो मे जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। इन जड़ भण्डार से इन क्षेत्रों को पुर्नस्थापित करने की पूर्ण संभावनाऐ हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार से क्षेत्र का पुर्नवास करना है । प्रदेश के सभी वनमंडलों मे विभिन्न वानिकी कार्यों हेतु कार्य आयोजनाऐं स्वीकृत हैं। अधिकांश नई कार्य योजनाओं में बिगड़े वनो का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त निर्धारित हैं। इसमें दिये गये विभिन्न उपचार प्रावधानों से इन वनों का पुर्नस्थापना कार्य किया जाता है। इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की पूर्ण सहभागिता रहती है. प्रथम वर्ष के कार्यों से लेकर अगले 5 वर्षो तक सुरक्षा आदि का कार्य समितियों के सहयोग से किया जाता है। प्रथम वर्ष में सुधार कार्यों से प्राप्त वनोपज को शत प्रतिशत समितियों को प्रदाय किया जाता है तथा क्षेत्र की समितियों द्वारा सामूहिक सुरक्षा करने के एवज में उन्हे इस हेतु निर्धारित राशि प्रदाय की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है:–

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष में तैयारी का लक्ष्य (हे.में)	द्वितीय वर्ष का कार्य	पुराने क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)	कुल आर्थिक आबंटन एवं व्यय (लाख में)	
				आबंटन	व्यय
2002–03	39868	28700	20735	1070.00	1010.74
2003–04	43297	25461	44509	1220.00	1214.86
2004–05 (12/04 तक)	55289	29392	20050	1430.80	355.93

5.2 बिगड़े बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिनमें बांस उत्पादन की क्षमता नहीं रह जाती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर बांस का प्राकृतिक पुर्नत्पादन हो रहा हो लेकिन बांस के भिर्रे पुर्णरुप से विकसित नहीं हो पा रहे हों एवं बांस विरल क्षेत्र जहां प्रति हेक्टेयर बासों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्टी चढाई तथा विरल क्षेत्रें में बास वृक्षारोपण एवं रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संख्या अधिक होती है वहीं गुंथे हुए भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से अधिक संख्या में बांस प्राप्त होते हैं तथा बासों की गुणवत्ता में भी आवश्यक सुधार होता है। उक्त क्षेत्रों में इस तरह किये गये कार्यो से निश्चित रुप से बांस के उत्पादकता में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

योजना में व्यय का **समायोजन मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर** 3531 प्राकृतिक पुनरोत्पादन का संरक्षण बजट मद के अंतर्गत किया जा रहा है । उक्त योजना के अंतर्गत बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्यो के अतिरिक्त गत वर्ष के मुख्य पातन के कूपों में पुनरोत्पादन का व्यय भी समायोजित किया जाता है । विगत तीन वर्षो के आर.डी.बी.एफ. के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का आर. डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)	योजना अंतर्गत कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय
2002–03	12383	500.00	498.25
2003–04	11169	479.00	467.88
2004–05 (12/04 तक)	18793	514.00	104.73

5.3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रायपुर में राजीव स्मृति वन नाम की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है एवं राज्य के अन्य जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी मे जन सुविधाओं के विकास तथा वन्य जीवों के विकास एवं रखरखाव के कार्य किये जा रहे हैं। वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	कार्य	आबंटन	व्यय
2002–03	रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी में जन सुविधाओं के विकास तथा वन्य जीवों के विकास एवं रखरखाव, एवं 23 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण	275.00	292.73
2003–04	केशकाल पंचवटी, दुर्गाधारा, भालूमार तालाब रखरखाव, आसना म्यूजियम निर्माण, कुटुम्बसर गुफा कार्य, रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी का विकास, वन महोत्सव तथा आमजन को 50 हजार तुलसी पौधा वितरण	294.00	330.00
2004–05 (12/04 तक)	केशकाल पंचवटी, दुर्गाधारा, भालूमार तालाब रखरखाव, आसना म्यूजियम निर्माण, कुटुम्बसर गुफा कार्य, रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी, सरगुजा के संजय उद्यान, इंदिरा उद्यान पेंड्रा, केंदई जलप्रपात स्थल का विकास, वन महोत्सव	250.00	158.20

5.4 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य किया गया है –

वित्तीय वर्ष 2002–03

कार्य वृत्त	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	2065	20.65
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6491.26	123.33
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	4662	79.68
स्पेशल साल इन्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	845.685	20.13
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	7653	80.36

वित्तीय वर्ष 2003–04

कार्य वृत्त	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	1379	18.30
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	7074	129.92
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	3403	55.74
स्पेशल साल इन्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	455	10.20
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	22868	235.29

वित्तीय वर्ष 2004–05 (आबंटित लक्ष्य)

कार्य वृत्त	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	1317	34.24
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6020	165.55
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	3240	78.98
स्पेशल साल इन्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	1100	26.23
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	18980	223.40
जैव विविधता संरक्षण	819	9.62

वित्तीय वर्ष 2004–05 के कार्य प्रगति पर हैं।

5.5 सड़के तथा भवन निर्माण कार्य

इस योजना में मांग संख्या 10 एवं 41 के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का एवं मार्गों का निर्माण कराया जाता है । वर्षवार कार्य निम्नानुसार है :

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2002–03	89	350.00	343.91
2003–04	177	330.00	352.10
2004–05 (12/04 तक)	215	315.00	72.70

5.6 राजीव गांधी बैम्बू मिशन

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बैम्बू मिशन प्रारंभ किया । इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा राजीव गांधी बैम्बू मिशन के नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई है जिसमें प्रदेश के बसोड़ों एवं अन्य बांस के कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पाद से उन्हें अधिक मूल्य दिलाने का प्रावधान किया गया है । योजना अंतर्गत बांस राईजोम तैयार करने हेतु वर्ष 2003–04 में रुपये 10.00 लाख के बजट आबंटन के विरुद्ध रुपये 9.79 लाख की राशि व्यय हुई है तथा वर्ष 2004–05 में रुपये 10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिससे बांस पौधों की तैयारी कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2004 तक रुपये 0.33 लाख की राशि व्यय हुई है।

6. संयुक्त वन प्रबंधन

6.1 संयुक्त वन प्रबंधन की अद्यतन स्थिति

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है। प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 के अनुसार इन ग्रामों में वनों के घनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है ।

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन–सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का संकल्प – 2001 तथा संशोधित संकल्प – 2002 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत निम्न 2 प्रकार की समितियों के गठन का प्रावधान है :–

(क) सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा ।

(ख) कंडिका (क) में दर्शाये ग्रामों को छोड़कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा।

सम्प्रति राज्य में 6994 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य के राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772.389 वर्ग किमी. में से 28215.29 वर्ग किमी. क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।

राज्य में गठित कुल समितियों की वृत्तवार संख्या उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र हे0 में, दक्षतापूर्वक कार्यरत समितियों का विवरण एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:–

वृत्त का नाम	गठित कुल समितियों की संख्या				गठित समितियों में दक्षतापूर्वक कार्यरत कुल समिति की संख्या			
	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति	
	सख्या	क्षे.	सख्या	क्षे.	सख्या	क्षे.	सख्या	
बिलासपुर	500	371880.409	750	245738.163	185	124510.305	283	1148
दुर्ग	438	189215.793	289	87944.703	77	30516.096	109	2472
कांकेर	710	353264.025	211	54382.488	216	116377.357	87	3109
जगदलपुर	440	289448.809	328	118639.162	79	47249.606	51	1803
रायपुर	596	269721.363	611	129212.399	492	173921.838	534	10648
सरगुजा	907	341932.581	1214	370150.704	137	57551.337	169	4526
कुल	**3591**	**1815462.980**	**3403**	**1006067.619**	**1186**	**550126.539**	**1233**	**340445**

6.2 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प :

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंध के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार वन सुरक्षा कार्यों के एवज में जिला स्तरीय वन अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि निर्दिष्ट समिति द्वा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रुप से किया जा रहा है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकार है :–

वन सुरक्षा समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 15 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जावेगा। वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी । कूप से वनोत्पाद के मूल्य की गणना गैर वाणिज्यिक दरों के आधार पर होगी ।

ग्राम वन समिति को आबंटित बिगड़े वन क्षेत्र के सुधार हेतु पुर्नवास कार्य किये जाने पर प्राप्त होने वाली वनोपज एवं पुर्नवास किये गये क्षेत्र के मुख्य पातन या वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद के स्थल पर कुल कीमत की 30 प्रतिशत राशि अथवा 30 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 30 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जावेगा । वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए विदोहन व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी ।

मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समितियों को यह लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गठन अर्थात 01.11.2000 से दिया जाना है । वनों की सुरक्षा के एवज में वनों में उत्पादित काष्ठ एवं

बांस में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के हिस्से की वनोपज का मूल्य रूपये 17.53 करोड़ का भुगतान समितियों को विगत वर्ष किया गया है ।

समिति को वन सुरक्षा कार्यो में उत्तरदायी बनाने के लिए संकल्प में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत समिति सदस्यों के महत्वपूर्ण कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- वनों के संरक्षण एवं विभागीय कार्यो में समिति के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता ।
- समितियों के स्वयं के प्रयास से आय वर्धक कार्यो को सृजन कराना, समिति की अर्थिक दशा सुधारना, आस्था मूलक कार्यो, वन सुरक्षा निधि तथा समिति के प्रयासों से प्राप्त आय का लेखा –जोखा नियमित कराना तथा उसका वार्षिक अंकेक्षण कराना ।
- समिति क्षेत्र में शिक्षित युवक को लेखा कार्य में प्रशिक्षित कराना ।
- समिति के पास संचित निधि के उपयुक्त उपयोग हेतु समिति सदस्यों की सहमति से विभिन्न कार्यक्रम चलाने हेतु प्रेरित करना ।
- समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के आनुपातिक विकास के प्रयत्न निरंतर करना । इस उदेश्य से धमतरी जिले में वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं वन विभाग के मार्गदर्शन में इन पिछडे ग्रामों में ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के बजट से विकास कार्य करने के संबंध में राज्य मंत्री–परिषद द्वारा 14.05.2002 को निर्णय लिया गया एवं शासनादेश 15.7.2002 द्वारा क्रियान्वयन के आदेश प्रसारित हुए। वनमंडलाधिकारी धमतरी वन से 5 कि.मी. की दूरी तक के ग्रामों के विकास हेतु अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी नियुक्त ।
- संकल्प के अनुसार ग्रामीणों को वनोपज प्रदाय करना।

6.3 संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत रोजगारमूलक कार्य

(1) लाख की खेती:–

- 647 वन समितियों के 2348 ग्रामीण परिवारों के द्वारा 2 लाख पलाश एवं कुसुम के वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है ।
- वर्तमान में राज्य में 1 हजार टन लाख का उत्पादन हो रहा है ।
- विगत वर्ष 2348 परिवारों को लाख की खेती से रू. 73 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2004–05 में वन विभाग द्वारा लाख परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 21000 अतिरिक्त आदिवासी परिवारों को इस कार्य में जोड़ा जा रहा है । इस योजना में लगभग रू. 2 करोड़ की राशि व्यय होने की संभावना है । ग्रामीण परिवारों को वर्ष में रू. 10 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त होगा । इस प्रकार 21000 परिवारों को रू. 5000 प्रतिवर्ष प्रति परिवार प्राप्त होगें ।

(2) मछली पालन :–

- 681 वन समितियों के 25400 परिवारों के द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है ।
- इन परिवारों को विगत वर्ष रू. 14.12 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है ।
- इस वर्ष लगभग 1 करोड़ मछली बीज तालाबों में डाले गये है ।

(3) कृमि कोसा पालन :–

- 344 वन समितियों के 28221 परिवारों द्वारा कृमि कोसा पालन का कार्य किया जा रहा है।
- इस कार्य से विगत वर्ष रू. 40.50 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है ।

(4) बांस आधारित उद्योग:–

- 190 वन समितियों के 2438 परिवार बांस आधारित कुटीर उद्योग में संलग्न है ।
- विगत वर्ष रू. 21.00 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है ।

(5) छिन्द घास, चटाई, झाड़ू, दोना पत्तल, सबई रस्सी, शहद तथा अन्य वन आधारित कुटीर उद्योग कार्य :–

- 681 वन समितियों के 25422 ग्रामीण परिवार उपरोक्त कार्य में संलग्न है ।
- विगत वर्ष रू. 1 करोड़ 32 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है ।

6.4 लोक संरक्षित क्षेत्र

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के समस्त 32 वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है ।

लोक संरक्षित क्षेत्र की दृष्टि, क्षेत्र एवं उद्देश्य निम्नानुसार है :–

दृष्टि :

लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन–केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र, गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप–रेखा बना सके ।

मूल्य :

1. वन वासियों एवं उनके पारंपरिक ज्ञान का सर्वोच्च मान सम्मान ।
2. संसाधन सुरक्षा में सहयोग एवं भागीदारी।
3. सभी स्तरों पर क्षमताओं का विकास ।
4. स्थानीय तकनीक का उन्नयन .एवं अत्याधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग ।

उद्देश्य :

1. समुदाय के सहयोग से वनों हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना विकसित करना ।
2. प्राकृतिक संसाधनों के आंकलन हेतु विशिष्ट विधि विकसित करना ।
3. वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विनाशविहीन दोहन ।

4. अन्तः स्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विस्तार
5. वन एवं स्वच्छ जल
6. लघु वनोपज का श्रेणीकरण,प्रसंस्करण (साफ करना सुखाना आदि) प्रमाणीकरण एवं विपणन ।
7. प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा ।
8. जैव सांस्कृतिक भिन्नता संरक्षण, जैविक भिन्नता पूर्वेक्षण एवं जैव साझेदारी का विकास ।
9. उद्यमिता का विकास ।
10. लोक निजी सहभागिता
11. ग्रामीणों के बचत समूहों में कोष निर्माण।
12. महिलाओं का सशक्तिकरण ।
13. लाभ का समान वितरण व्यवस्था ।
14. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ।
15. खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ।
16. सामाजिक पूंजी का उपयोग ।
17. उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम नीति एवं विधिक संरचना का विकास ।

इस कार्यक्रम को वर्ष 2001 से लागू किया गया है एवं वर्ष 2004 तक 122632 हेक्टर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अन्तःस्थलीय संवर्धन एवं 208 हे0 क्षेत्र में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा चुका है। इस कार्य में रू. 2853.52 लाख व्यय किये गये हैं । इसके अलावा लोक संरक्षित क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा 39 वन औषधालयों की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है । इसके अलावा वनांचल के 3220 रहवासियों एवं वन कर्मियों को अकाष्ठीय वनोपज का विनाश विहीन विदोहन , प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण वन विद्यालय महासमुन्द, जगदलपुर एवं सक्ती में दिया गया है ।

6.5 लोक निजी सहभागिता

जिन ग्राम वन समितियों द्वारा अपने स्तर पर वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से नगद या सामग्री के रूप में ऋण प्राप्त कर अथवा राहत कार्य या अन्य रोजगारमूलक कार्यों हेतु प्राप्त राशि में से बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के अतर्गत रोपण हेतु पूँजी लगाने की व्यवस्था की जायेगी उन समितियों को आबंटित क्षेत्र के माइक्रोप्लान के अनुसार वृक्षारोपण/बिगड़े वनों के सुधार कार्य करने एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बिगड़े वनों के सुधार कार्य/वृक्षारोपण से तैयार वृक्षों की परिपक्वता पर कटाई से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण वनोपज दे दी जायेगी जिसे समिति निवर्तित कर सकेगी एवं निवर्तन से प्राप्त राशि में से रोपण हेतु लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज तथा अन्य कोई देनदारी हो, को घटाने के उपरान्त शेष बची राशि की 50 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति की आमसभा के निर्णय के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा 30 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु तथा 20 प्रतिशत राशि वन संसाधनों के विकास हेतु ग्राम वन समिति के माइक्रोप्लान के अनुसार उपयोग की जावेगी ।

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 में तीन वृत्त में 2: समितियों के अंतर्गत 600 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा वर्ष 2004–05 में 10 वृत्त में 75 समितियों के अंतर्गत 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है ।

6.6 धमतरी मॉडल

धमतरी मॉडल धमतरी जिले में वन सीमा से 5 किमी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का समग्र विकास, सभी विकास विभागों के संयुक्त सोच से करने हेतु एक अभिनव पहल (योजना) है, जिसमें वन विभाग बगैर किसी विभाग के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए विकास कार्यों से संबंधित हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी है।

योजना के मुख्य बिन्दुः–

- भारत सरकार से जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि को वन से 5कि.मी. की दूरी में स्थित ग्रामों के विकास हेतु उपयोग करने के लिए पंचायत नियमों में बगैर किसी संशोधन के वनमंडलाधिकारी धमतरी को पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी घोषित कर तथा वन विभाग को इन ग्रामों के विकास हेतु नोडल ऐजेंसी घोषित किया गया ।
- धमतरी जिले में स्थित कुल 641 ग्रामों में से वन सीमा से 5कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले 401 ग्रामों के विकास हेतु जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर वन से 5 कि.मी. की दूरी और उससे अधिक दूरी हेतु विभागवार बजट पृथक – पृथक किया जा रहा है ।
- वन से 5 कि.मी. भीतर एवं 5कि.मी. के बाहर के विकास कार्यों हेतु जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर ग्राम सभा आधारित पृथक – पृथक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन किया जा रहा है ।
- विभिन्न विकास विभागों द्वारा उपरोक्त कार्य योजना का कियान्वयन किया जा रहा है किंतु इसका समन्वय वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- निर्माण किये गये विकास कार्यो का सामान्य अनुश्रवण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है किन्तु तकनीकी रूप से अनुश्रवण का कार्य संबधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।
- कलेक्टर धमतरी की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी, वनमण्डलाधिकारी धमतरी के सदस्यता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।
- विकास खण्ड नगरी एवं मगरलोड के लिए वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया ।
- धमतरी माडल के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है ।

समेकित संसाधन विकास परियोजना धमतरी –

धमतरी मॉडल के प्रयोग से प्रोत्साहित होकर पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्र शासन द्वारा धमतरी जिले हेतु, समेकित संसाधन विकास परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है । रू. 1350 लाख की यह योजना, धमतरी जिले के चयनित 100 ग्रामों के समग्र विकास हेतु, स्वीकृत की गई है। सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार इन ग्रामों में वन, जल एवं भूमि संसाधन प्रबंधन तथा मूल्य वर्धन गतिविधियों का कार्य लिया जावेगा ।

इसके अतिरिक्त राज्य लघुवनोपज संघ के माध्यम से धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु NMPB द्वारा अंतःस्थलीय संवर्धन के लिये रु. 30.00 लाख, बाहय स्थलीय संवर्धन के लिये रु. 30.00 लाख, प्रसंस्करण के लिये रु. 30.00 लाख तथा विपणन के लिये रु. 10.00 लाख, कुल 1.00 करोड़ की 3 वर्ष की 4 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत हुई है। अभी तक रु. 18.00 लाख व्यय किया गया है ।

धमतरी वनमण्डल हेतु स्वीकृत विशेष योजना

धमतरी वनमण्डल हेतु अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन तथा क्षमता विकास के कार्य हेतु IRDC, Canada के सहयोग से रु. 55.00 लाख लागत की स्वीकृत 3 वर्षीय परियोजना में वर्ष 2004–05 से कार्य प्रारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने वन विकास अभिकरण (Forest Development Authority) गठित कर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण योजना प्रारंभ की है। वन विकास अभिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. सभी शासकीय विभागों एवं पंचायती राज अभिकरणों, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा जिला वनोपज यूनियन से सामंजस्य स्थापित कर विकास कार्यो का क्रियान्वयन करना ।
2. संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा का प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन ।
3. संबंधित ग्रामों में ग्राम संसाधन विकास के कार्य करना ।
4. वन संरक्षण , संवर्धन एवं विकास ।
5. केन्द्र या राज्य शासन या बैंक से राशि प्राप्त कर समितियों को कार्य हेतु आबंटित करना ।
6. स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना ।
7. पर्यावरण सुधार के लिए कार्य करना।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 32 वनमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। 30 वन विकास अभिकरणों के प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं । इनमें से 27 वन विकास अभिकरणों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा रूपये 68.27 लाख की परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है । इसके अलावा 3 वन विकास अभिकरणों हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहें है ।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में बिगडे वनों का सुधार , बांस रोपण, वन औषधि रोपण, जलाऊ एवं चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है। महासमुन्द एवं बस्तर वन मंडल में यह प्रोजेक्ट 9 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था शेष 10 वन मंडलों में यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002–03 से 2006–07 पांच वर्ष के लिए तथा 14 वन मंडल में वर्ष 2003–04 से 2006–07 चार वर्ष के लिए एवं एक वनमंडल के लिये 2004–05 से 2006–07 तक 3 वर्ष के लिये स्वीकृत हुये हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एफ.डी. ए. के माध्यम से कराये जा रहे वानिकी एवं सामुदायिक कार्यों को **" वनों का संवहनीय विकास संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से"** नाम दिया गया है। प्रदेश की इन 27 वन मंडलों में कुल 961 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 38689 हे0 में वृक्षारोपण विभिन्न मदों में किया जावेगा। समुचित राशि इन समितियों को आस्थामूलक कार्यों के लिए दी गई है । अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु 30 करोड़ 59 लाख 27 हजार रूपये विमुक्त किया गया है , जिसमें से माह दिसम्बर 2004 तक 20 **करोड़ 77 लाख 49 हजार** व्यय हुआ है ।

(राशि रू. लाख में)

क्र.	एफ.डी.ए का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	ग्रा.व.स./ व.सु.स की संख्या	कुल राशि	परियोजना अवधि		स्वीकृति दिनांक	एन.ए.ई.बी द्वारा जारी राशि				31.03. तक व
					से	तक		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	
1	बस्तर	1200	11	166.17	01-02	05-06	18-12-01	65.51	0	72.00	0	134.6
2	महासमुन्द	750	30	115.28	01-02	05-06	18-03-02	11.32	50.00	32.00	9.34	101.7
3	पूर्व रायपुर	1800	30	262.67	02-03	06-07	20-12-02	0	56.00	50.00	0	105.5
4	उदन्ती	800	30	150.00	02-03	06-07	31-12-02	0	29.00	20.00	49.00	47.60
5	रायपुर	1500	30	253.89	02-03	06-07	31-12-02	0	53.00	45.00	63.10	97.14
6	धमतरी	3000	87	560.67	02-03	06-07	10-01-03	0	61.00	50.00	132.00	218.7
7	राजनांदगांव	2500	69	517.26	02-03	06-07	04-12-02	0	91.00	0	95.00	142.10
8	कवर्धा	1970	20	353.12	02-03	06-07	10-01-03	0	72.00	0	65.00	78.05
9	दुर्ग	1900	38	257.10	02-03	06-07	15-01-03	0	52.00	0	61.00	51.00
10	खैरागढ़ दक्षिण	1300	27	227.38	03-04	06-07	04-03-04	0	0	40.00	0	21.42
11	सरगुजा उत्तर	1050	35	180.54	02-03	06-07	18-02-03	0	38.00	0	65.00	103.00
12	सरगुजा	1050	30	180.54	02-03	06-07	18-02-03	0	38.00	0	50.00	72.95
13	कोरिया	2000	30	367.29	03-04	06-07	30-04-03	0	0	78.00	90.00	74.94
14	जशपुर	1369	32	223.92	03-04	06-07	30-04-03	0	0	39.00	84.00	88.15
15	पूर्व सरगुजा	900	30	161.37	03-04	06-07	27-03-04	0	0	36.00	50.00	62.70
16	मनेन्द्रगढ़ दक्षिण	1050	30	177.38	03-04	06-07	27-03-04	0	0	36.00	0	15.84
17	कोण्डागांव	1600	31	306.12	02-03	06-07	18-02-03	0	49.00	54.00	69.00	139.47

18	उत्तर कोण्डागाव	1000	30	199.12	03-04	06-07	24-12-03	0	0	48.00	54.00	67.23
19	कांकेर	1150	23	204.02	03-04	06-07	27-03-04	0	0	36.00	54.00	35.70
20	प. भानुप्रतापपुर	1100	22	157.70	03-04	06-07	27-03-04	0	0	32.00	45.00	Nil
21	मरवाही	1500	57	309.75	03-04	06-07	23-09-03	0	0	58.00	81.00	15.94
22	कटघोरा	1500	30	284.56	03-04	06-07	06-10-03	0	0	51.00	67.00	5.44
23	कोरबा	1500	30	284.41	03-04	06-07	06-10-03	0	0	52.00	80.00	15.09
24	बिलासपुर	1000	25	177.70	03-04	06-07	29-10-03	0	0	50.00	50.00	19.09
25	रायगढ	1500	61	311.59	03-04	06-07	15-01-04	0	0	72.00	60.00	Nil
26	धरमजयगढ	1500	45	274.25	03-04	06-07	15-01-04	0	0	69.00	0	Nil
27	सुकमा	1200	48	163.69	04-05	06-07	19-01-05	0	0		*47.00	Nii
	योग	**38689**	**961**	**6827.49**				**76.83**	**589.00**	**1020**	**1420.44**	**1713.50**

* स्वीकृत राशि 47.00 लाख रूपये का ड्राफ्ट भारत शासन से प्रतीक्षित है।

एफ.डी.ए के माध्यम से स्वीकृत इन परियोजनाओं का अनुश्रवण राष्ट्रीय स्तर की स्टेयरिंग समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार हैं । राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु " राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम" की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। समन्वय समिति की बैठक वर्ष में एक बार सम्पन्न की जाती है। गत बैठक दिनांक 22.03.2004 को सम्पन्न हुई है।

7. वन संरक्षण

7.1. वन संरक्षण

छत्तीसगढ वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के संबंध में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण से जुड़े अमले का क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा के साधनों का विकास, स्थानीय ग्रामीणों को वन सुरक्षा के कार्यो से जोड़े जाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी गयी है । विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही साथ ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये है ।

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए गए है। इस कड़ी में राज्य गठन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2004–2005 में "वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 की अवशेष राशि 4.79 लाख को पुनर्वेध कराया गया है ।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2003–04 में एकीकृत वन सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित है । जिसमें 217.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । जिसमें से 100 लाख रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किया गया था । वित्तीय वर्ष 2003–04 में 99.00 लाख रूपये खर्च किये

गये। अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2004-05 में रूपये 118.40 लाख को पुनर्बंध करा लिया गया जिसमें निम्न कार्य कराये जा रहे है :–

अ.क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि लाख में
1	मिनी ट्रक वाटर टैंक सहित	1 नग	7.50
2	वन रक्षक आवास निर्माण	30 नग	45.00
3	फिक्सड सेट एच एफ	4 नग	6.00
4	फिक्सड सेट वी एच एफ	20 नग	6.00
5	मोबाईल सेट	6 नग	1.20
6	हेण्ड सेट	20 नग	4.00
7	टाटा 407	1 नग	7.00
8	जीप/जिप्सी	2 नग	9.00

वित्तीय वर्ष 2004–05 में एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 800 लाख रूपये का बजट प्रावधान प्रेषित किया गया था । जिसमें से 698 लाख रूपये की कार्य स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रीय सहायता से निम्नानुसार सामग्री वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न कार्य कराए जा रहे है :–

अ.क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि लाख में
1	मिनी ट्रक वाटर टैंक सहित	1 नग	6.50
2	जीप जिप्सी	6 नग	25.50
3	वन रक्षक आवास निर्माण	80	120.00
4	वायरलेस सेट एच एफ	4 नग	6.00
5	फिक्सड सेट वी एच एफ	30 नग	9.00
6	मोबाईल सेट वी एच एफ	30 नग	6.00
7	हेण्ड सेट वी एच एफ	110 नग	22.00
8	टाटा 407	1 नग	6.00
9	जीप जिप्सी	6 नग	27.00

वन क्षेत्रों से वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के अंदर कुल 330 एवं अंतर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये है। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज लदे वाहनों से संबंधित जानकारियों को अभिलेखित भी किया जाता है । बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के वनोपज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

7.2 वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति

वन भूमि पर अतिक्रमण की दृष्टि से वृत्त एवं वन मंडल स्तर पर उड़नदस्ता का गठन किया गया है तथा राजस्व, पुलिस एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सामूहिक रूप से वन भ्रमण करने से अतिक्रमणों में कमी आई है। अपात्र अतिक्रामकों की बेदखली की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार की जा रही है।

7.3 अवैध कटाई की स्थिति

वनों की सुरक्षा के लिए वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण रोस्टर बनाये गये है जिसमें परिक्षेत्र सहायक से लेकर वनमंडलाधिकारी तक को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बीट निरीक्षण में पायी जाने वाली अवैध कटाई एवं अन्य वन अपराध प्रकरणों का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेकर त्वरित कार्यवाही की जाती है । वनों की अवैध कटाई एवं निकासी की रोकथाम के लिए चेकिंग बेरियरों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है । 1 जनवरी 2004 से 31 जनवरी 2005 तक अवैध कटाई के कुल 21861 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है । अवैध परिवहन में लिप्त 107 वाहनों को जप्त किया गया । 20 वाहन अंतिम रूप से राजसात किए गए है।

7.4 फारेस्ट क्राइम ब्यूरो का गठन

राज्य में वनों के संरक्षण को प्रभावी बनाये जाने हेतु राज्य की वन नीति –2001 में वर्णित फारेस्ट क्राइम ब्यूरो के गठन के प्रस्ताव को शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है । राज्य में फारेस्ट क्राइम ब्यूरो के गठन में प्रथम चरण में लगभग 332 लाख रूपये की राशि के व्यय होने का अनुमान है । इस फारेस्ट क्राइम ब्यूरों के गठन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से समेकित वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से की जावेगी । फारेस्ट क्राइम ब्यूरो द्वारा आदतन वन अपराधियों के संबंध में जानकारी रखी जायेगी तथा राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों को उनकी विविध वन अपराधों के लिए चिन्हित करते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए कारगर रणनीति तैयार की जायेगी । इसमें मैदानी अमले को अपराध नियंत्रण, मुखबिर तंत्र तैयार करने, अभियोजन कला विकसित करने आदि का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।

7.5 राज्य में आरा मशीनों की स्थिति

राज्य में विभिन्न वन वृत्तों में निम्नानुसार संख्या में आरा मशीनें पंजीकृत हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरा मशीनों के संबंध में दिये गये अंतरिम निर्णय के प्रकाश में, राज्य में किसी भी नई आरा मशीन को वर्ष 1997 के पश्चात से अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है ।

अनुक्रमांक	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या
1	रायपुर	519
2.	दुर्ग	394
3.	कांकेर	18
4.	जगदलपुर	61
5.	बिलासपुर	365
6.	सरगुजा	65
	योग	1422

आरा मशीनों का नियमित निरीक्षण किये जाने के लिए निरीक्षण रोस्टर वनमंडल स्तर पर बनाया जाकर आरा मशीनों का निरीक्षण किया जाता है । किसी आरा मशीन में अनियमितता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के सहत आरा मशीन स्वामी के ऊपर कार्रवाही की जाती है ।

राज्य में मैदानी अमले को वन अपराध एवं इससे जुड़े विधिक पहलुओं को समझाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ करने की योजना है जिससे कि, मैदानी अमले की क्षमता का विकास हो सके ।

7.6 संयुक्त वन प्रबंधन के द्वारा वनों की सुरक्षा

वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा में स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य में 6954 संयुक्त वन प्रबंध समितियाँ गठित की गयी है । इन समितियों को वनों की सुरक्षा करने के एवज में मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले वनोपज अथवा वनोपज के समतुल्य मूल्य का 15 प्रतिशत दिया जाता है । इसके अलावा इनकी सहायता से वानिकी के सारे कार्य किये जाते है । ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास को वनों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक समझा गया है । इस प्रकार विभाग की नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ ही साथ ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता को भी वन सुरक्षा के लिए पर्याप्त महत्व दिया गया है ।

8 भू–सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम

8.1. वन भूमि अतिक्रमण व्यवस्थापन

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.12.1976 के पूर्व के एवं दिनांक 01.01.1977 से दिनांक 06.03.1979 तक पात्र अतिक्रामकों को व्यवस्थापन करने हेतु कुल 97766.381 हे0 क्षेत्र के विरूद्ध 97774.000 हे0 क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं ।

दिनांक 07.03.1979 से दिनांक 24.10.1980 तक के अतिक्रामकों को जिन्हें भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया था। उनके संबंध में पुनः विचार करने हेतु छ0ग0 शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्र0 191 दिनांक 23.02.2004 के द्वारा भारत सरकार को लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

8.2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनेत्तर प्रकरण

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–
- राज्य निर्माण उपरांत 4 वर्ष की अल्प अवधि में कुल 51 विकास परियोजनाओं जिसमें सिंचाई की 16, खनिज 23, विद्युत 9 अन्य 3 की विकास परियोजनाओं की **GOI (MoEF)** से स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

अ. राज्य निर्माण के पूर्व स्वीकृत विकास परियोजनायें -- 152

ब. राज्य निर्माण के उपरांत माह दिसंबर, 2004 तक कुल अंतिम स्वीकृत परियोजनायें 51

203

इन योजनाओं के लिये निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया।

अनु. क्रमांक	परियोजना का प्रकार	प्रत्यावर्तित क्षेत्र (हेक्टे0)
1	सिंचाई परियोजना	1837.232
2	खनिज परियोजना	2141.429
3	विद्युत परियोजना	193.132
4	रेल लाईन हेतु दी गई भूमि	94.050
	योग	**4265.843**

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन को भारत सरकार एवं अन्य स्तरों पर कुल 128 प्रकरण लंबित हैं।

अनु.	स्तर	कुल प्रोजेक्ट	खनिज	सिंचाई	विद्युत	अन्य	प्रोस्पेक्टिंग लायसेन्स
1.	भारत सरकार	7	—	6	1		
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	4	1	2	1		
3.	छत्तीसगढ़ शासन	8	2	5	1		
4.	नोडल अधिकारी	15	0	3		1	11
5.	वन मंडल अधिकारी	75	16	33	21	5	
6.	आवेदक संस्थान	19	0	19			
	कुल लंबित प्रकरण	128	19	68	24	6	11

8.3. वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 425 वनग्रामों में से 420 वनग्रामों (5 वनग्राम वीरान) को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2002 एवं दिनांक 14.04.2002 को प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाडा, बस्तर एवं कोरिया जिलों का स्थल निरीक्षण का कार्य किया जा चुका है, एवं शेष जिलो के स्थल निरीक्षण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को लेख किया गया है। इस संबंध मे दिनांक 30/01/2004 को वन सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण को विचार हेतु रखा गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा रही है।

8.4. नांरगी वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5/43/90/10--3/96 दिनांक 14/05/1996 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नारंगी क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाईयों द्वारा प्रथम चरण में कुल 1195299.98 हे0 नारंगी क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर 850390.78 हे0 नारंगी क्षेत्र वन प्रबंधन के अनुपयुक्त पाया गया एवं 344909.19 हे0 क्षेत्र संरक्षित वन बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया। आज दिनांक तक 3.44 लाख हे. उपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्र में से 2.50 लाख हे. नांरगी क्षेत्र के धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना प्रस्ताव प्रकाशन हेतु शासन को भेजे गए थे, जो कुछ त्रुटियों के कारण वापिस किये गए एवं समस्त प्रस्ताव जांच पड़ताल उपरांत प्रकाशन हेतु पुनः शासन को शीघ्र प्रेषित किये जावेंगे।

8.5. राज्य में वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद की अद्यतन स्थिति

- वन मंडलों एवं वन वृत्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 1295 ग्रामों मे उक्त सीमा विवाद है जिनमें से विवाद के निराकरण हेतु नक्शे मे सशोधन कर सीमा सुधार का कार्य 1975 प्रकरण में पूर्ण कर, राजस्व विभाग के मूल बन्दोबस्त नक्शे में 1964 प्रकरण मे वन सीमा चढ़ाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन सुधारे हुए नक्शों के आधार पर 1732 प्रकरण मे सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- सीमा विवाद के निराकरण के लिए कुल 2276 कृषि पट्टे रकबा 2468.271 हे. निरस्त किये गये इसी प्रकार उत्खन्न के 11 पट्टे -- 23.871 हे0 निरस्त किये गये एवं कुल आवासीय 74 पट्टे 1.648 हे. निरस्त किये गये । वन एवं राजस्व भूमि सीमाविवाद के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर भी एक समन्वय समिति बनाई गई है।

9. कार्य आयोजना

- कार्य--आयोजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर वनों के प्रबंधन का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अभिलेख होता है एवं इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य मे आरक्षित वन 25782.17 वर्ग कि0मी0, संरक्षित वन 24036.10 वर्ग कि0मी0 एवं अवर्गीकृत वन 9954.13 वर्ग कि0मी0, कुल 59772.40 वर्ग कि.मी. है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है।
- कार्य--आयोजना कक्ष का मुख्य कार्य प्रदेश के आरक्षित एवं संरक्षित वनों के प्रबंधन हेतु शासन की नीतियो एवं छत्तीसगढराज्य की नई वन नीति के अनुसार तकनीकी आधार पर कार्य--आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोदावर्मन प्रकरण में दिए गए निर्देशानुसार किसी भी वन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्य--आयोजना के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की कटाई प्रतिबंधित है।
- राज्य के जांजगीर--चॉपा, कटघोरा, कोरबा, मरवाही, दुर्ग, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बीजापुर, दंतेवाडा, जगदलपुर, कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, पूर्व सरगुजा वन मंडलों की कार्य--आयोजना का भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है तथा पूर्व भानुप्रतापपुर,

पश्चिम भानुप्रतापपुर कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़, जांजगीर- चाँपा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा बॉरा (ओवर लैपिंग) वर्किंग स्कीम (कूप कटाई छोड़कर) भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है।

- प्रदेश में 9 कार्य--आयोजना वन मंडल स्वीकृत है।
- जशपुर एवं जगदलपुर (बस्तर) वन मंडलों की कार्य–आयोजना तैयारकर भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी जा चुकी है। वर्तमान में पूर्व / पश्चिम भानुप्रतापपुर, कोरिया/मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर / जांजगीर–चॉपा की द्वितीय प्रारंभिक प्रतिवेदनों की समीक्षा हो चुकी है और जून 2005 तक कार्य–आयोजना भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी जावेगी।
- पूर्व रायपुर / उदंती, सुकमा एवं दंतेवाडा, नारायणपुर , रायगढ़/धर्मजयगढ़ वन मंडलों की कार्य–आयोजना का कार्य प्रगति पर है जो दिसम्बर 2005 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।
- कार्य–आयोजना निर्माण हेतु वर्तमान में उपलब्ध अत्याधुनिक एप्लीकेशन साफ्टवेयर सर्वे आफ इंडिया के डिजिटल टोपोग्राफी डाटा, संनिधि मानचित्रण का डिजिटाईजेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा सेटेलाईट इमेजरीस का उपयोग कर तकनीकी रूप से सशक्त कार्य–आयोजना निर्मित की जा रही है।
- राज्य में वानिकी सूचना की आधारभूत जानकारी संधारित करने एवं वन प्रबंधन में तकनीकी सक्षमता बढ़ाने के दृष्टिकोण से वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर को आधुनिक साफ्टवेयर और हार्डवेयर से सशक्त किया गया है।
- वन प्रबंधन सूचना प्रणाली मंडल, रायपुर में डिजिटाईजेशन की स्थापना की जा रही है।
- वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल द्वारा वन प्रबंधन हेतु अनिवार्य एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार करने के साथ–साथ आर0आर0एस0एस0सी0 नागपुर के समन्वय से राज्य के 9 वन मंडलों के Vegetation Maps का डिजिटाईजेशन एवं रिमोट सेन्सिंग डाटा इन्टरप्रिटेशन का कार्य लगभग पूर्णकर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्च,2005 तक 9 अतिरिक्त वन मंडलो के स्टाक मैप्स का डिजिटाईजेशन कार्य भी पूर्ण कर लिया जावेगा।
- वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों से योजनाकारों, प्रशासकों, विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता को अवगत कराने के लिए एक वेब साईट WWW.cgforest.com प्रारंभ की गयी है।

10. परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार

मुख्य वन संरक्षक के अधीन इस नवीन गठित शाखा में परियोजनाओं के निर्माण तथा अनुसंधान संबंधी सभी कार्य होते है। इस प्रकार से यह शाखा भविष्य के लिए सोच को मूर्त रूप देने संबंधी सभी कार्यो को अभिलेखित करेगी एवं वानिकी अनुसंधान तथा विस्तार का कार्य करेगी।

उद्देश्य :-

- वर्तमान एवं भविष्य के विषयों पर आवश्यकतानुसार परियोजनाओं का निर्माण ।
- उन्नत तकनीक से उन्नत गुण श्रेणी के बीज तथा पौधे तैयार करना ।
- भूमि एवं जलवायु के अनुसार अनुकूल प्रजातियों का निर्धारण ।
- नर्सरी तकनीक एवं रोपण तकनीक पर अनुसंधान ।

- विभाग द्वारा किये गये रोपण एवं अन्य वानिकी कार्यो का मूल्यांकन अनुश्रवण के आधार पर आवश्यक सुधार एवं भविष्य की रणनीति का चिन्हांकन ।
- वन सुरक्षा , अग्नि प्रकोप , कीट एवं अन्य प्रकोपों पर अनुसंधान ।
- उन्नत तकनीक का प्रचार, प्रसार प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन ।
- उत्तम गुण श्रेणी के बीज उत्पन्न करने के लिए स्थापित बीज उत्पादन क्षेत्रों एवं बीज उद्यान क्षेत्रों का रखरखाव एवं नये बीज उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना।
- महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज उत्पादन क्षेत्रों तथा बीज उद्यानों से उत्तम गुण श्रेणी के बीजों का उत्पादन एवं चारा उत्पादन क्षेत्रों से उन्नत चारा बीज का उत्पादन ।
- अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में स्थापित माडल नर्सरी में उच्च गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन।
- मिस्ट चैम्बर्स एवं पाली प्रोपेगेटर्स की स्थापना कर यूकेलिप्टस, खमार, सागौन तथा बांस के क्लोनल पौधों का उत्पादन।
- कृषकों, जनप्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को नई तकनीक पर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन।

शाखा की उपलब्धियाँ

❖ परियोजना निर्माण–

परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार शाखा के उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप शाखा में निम्नलिखित नवीन परियोजनायें निर्मित की गयी :–

- छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं विस्तार संस्थान (त्रिस्तरीय संरचना) की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव ।
- छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्ताव ।
- ग्रामीणों को रियायती दरों पर पौधे प्रदाय की योजना ।
- छत्तीसगढ़ राज्य में रतनजोत के वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्ताव ।

❖ अनुसंधान एवं विस्तार कार्य

प्रदेश में 3 अनुसंधान/विस्तार वनमंडल कार्यरत है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 3 अनुसंधान विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहाँ यूकेलिप्टस, आंवला, खमार, सागौन,बांस प्रजातियों के उन्नत किस्म के पौधे उच्च तकनीक रोपणियों में तैयार किये जा रहे हैं। ये पौधे विभागीय रोपण के अतिरिक्त इच्छुक किसानों को उनके निजी भूमि पर लगाने हेतु उपलब्ध होगें।

<u>बीज उत्पादक क्षेत्रों की स्थापना</u> :– छत्तीसगढ़ राज्य में वनीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे सागौन , खमार, नीलगिरी एवं आंवला आदि प्रजातियों के 339 हे0 बीज उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण 195 हे0 में बीजांकुर बीज उद्यान , 182.5 हे0 में क्लोनल बीज उद्यान, 85 हे0 में उन्नत प्रजाति के चारा बीज उत्पादन क्षेत्र एवं 12 हे0 में कलिंग आर्चर्ड स्थापित किया गया है। वर्ष 2004–05 में 20 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 18.00 लाख रू0 का आबंटन किया गया है जिसकेविरूद्ध माह जनवरी 05 तक की स्थिति में 4.09 लाख रूपये व्यय किया गया है।

- क्लोनल पौधों का अधिकाधिक उत्पादन तथा किसानों में वितरण ।
- आधुनिक नर्सरियों की प्रत्येक जिले में स्थापना ।
- विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के आंकलन एवं उसमें समय–समय पर सुधार हेतु सामाजिक शोध संकाय की स्थापना ।
- वनों पर आश्रित ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु आर्थिक शोध शाखा की स्थापना ।
- वन उत्पादों की सुव्यवस्थित मार्केटिंग हेतु मार्केटिंग शोध संकाय की स्थापना ।
- प्रदेश में वनक्षेत्रों के बाहर वानिकी विस्तार हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, विस्तार एवं प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च एवं नई तकनीक को पहुँचाने हेतु वानिकी अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण संकाय की स्थापना ।
- राज्य के ग्रामीणों को रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराने की पंचवर्षीय योजना प्रस्तावित है।
- वृक्ष सहकारिता योजना के तहत प्रदेश में रोपित वृक्षारोपणों के विरलन कार्यों एवं विदोहन योजना के अनुसार समितिवार कार्य योजना प्रस्तावित है।
- राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे वृहद् वृक्षारोपण एवं जलग्रहण क्षेत्र उपचार की योजना प्रस्तावित है।
- **शाखा की महत्वपूर्ण प्रस्तावित योजना** वनों के विकास एवं उसकी रक्षा के साथ पर्यावरण के अध्ययन के दृष्टि से प्रदेश में वन अनुसंधान एवं विस्तार कार्य हेतु एक राज्य स्तरीय वन अनुसंधान एवं विस्तार संस्थान के रूप में रायपुर स्थित वन अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल को एक त्रिस्तरीय अनुसंधान एवं विस्तार प्रणाली में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत तीन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र रायपुर , बिलासपुर एवं जगदलपुर में क्षेत्रीय वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र होगें। प्रदेश के समस्त 32 वनमंडलों में वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार परिक्षेत्र की स्थापना किया जायेगा जो क्षेत्रीय वनमंडल के स्तर पर अनुसंधान एवं विस्तार का कार्य करेंगें। इस हेतु वन अनुसंधान एवं विस्तार को बजट में उचित प्राथमिकता देने हेतु विभाग द्वारा 150 लाख रू0 वर्ष 2005–06 के लिए प्रस्तावित किया गया है।

11. वन्यप्राणी संरक्षण

राज्य में वन प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 6,615 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत तथा वन क्षेत्रफल का 11 प्रतिशत है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती म.प्र. के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के सरगुजा / कोरिया जिले में आने वाले क्षेत्रों को मिलाकर) एवं भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना नये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गयी है।

<u>राष्ट्रीय उद्यान :-</u>

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	इन्द्रावती	दन्तेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1258
2	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	200
3	गुरूघासी दास	सरगुजा/कोरिया	बैकुण्ठपुर	सरगुजा	1440.705

अभ्यारण्य :-

क	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	551.55
2	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	सरगुजा	104.55
3	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	बिलासपुर	277.82
4	बारनवापारा	महासमुन्द	रायपुर	रायपुर	244.66
5	उदन्ती	रायपुर	रायपुर	रायपुर	247.59
6	सीतानदी	धमतरी	धमतरी	रायपुर	553.36
7	तमोरपिंगला	सरगुजा(अम्बिकापुर)	उत्तर सरगुजा	सरगुजा	608.52
8	सेमरसोत	सरगुजा(अम्बिकापुर)	पूर्व सरगुजा	सरगुजा	430.36
9	भैरमगढ़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	139.00
10	पामेड	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	262.00
11	भोरमदेव	कवर्धा	कवर्धा	दुर्ग	163.80

प्रोजेक्ट टायगर :

- इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान केन्द्रीय शासन की प्रोजेक्ट योजनान्तार्गत सम्मिलित है।
- अचानकमार, उदन्ती तथा सीतानदी अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टायगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने के लिए प्रोजेक्ट टायगर की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 23/01/2003 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। प्रोजेक्ट टायगर में सम्मिलित होने के लिए अधिसूचना केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित है।

राज्य में मुख्य वन्य प्राणियों के आकलन के गत् तीन वर्षो के आंकडे निम्नानुसार है :-

क	वन्यपशु का नाम	वर्ष		
		2002	2003	2004
1	शेर	227	238	239
2	तेन्दुआ	1140	1200	1258
3	चीतल	21571	23832	23848
4	साभर	2680	3079	3123
5	कोटरी	12388	14215	15060
6	नीलगाय	3544	3721	3874
7	गौर	2336	2337	2563
8	जंगली भैंसा	133	129	151

संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न बजट मदों के अंतर्गत गत् तीन वर्षों में आवंटन एवं व्यय :-

राज्य शासन से प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी

क्र	मद संख्या	वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05	
		प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय रा[illegible] लाख
1	10-2406 वानिकी एवं वन्य जीवन (110) वन्य जीवन 2899 रा.उ.	180.80	193.81	171.50	171.40	244.85	154.33
2	10-2406 वानिकी एवं वन्य जीवन (110) वन्य जीवन 2900	283.90	283.33	264.03	270.00	365.92	189.74
	योग-	464.70	477.14	435.53	441.40	610.77	344.07

केन्द्र शासन से प्राप्त एवं व्यय की जानकारी

क्र	मद संख्या	वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05	
		प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय राशि लाख में	प्राप्त राशि लाख में	व्यय रा[illegible] लाख [illegible]
1	10-2406 (701) केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6539 रा.उ./ अभ्यारण्यों का विकाश	79.75	68.74	308.65	216.406	137.418	45.94
2	41-2406(702) केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3730	32.48	71.61	98.77	91.528	-	2.66
	योग	112.23	140.35	407.42	307.934	137.418	48.61

जंगली हाथियों की समस्या

छत्तीसगढ़ राज्य में विगत कुछ वर्षों से उड़ीसा तथा झारखण्ड राज्यों से आये हुये 75 प्रवासी हाथियों ने अलग अलग झुण्डों में उत्तरी पूर्वी जिले के वन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं तथा प्रवासी हाथियों से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके द्वारा फसल सम्पत्ति तथा जनहानि के प्रकरण हो रहे हैं। जहां तक संभव है

क्षतिपूर्ति की व्यवस्था राज्य शासन कर रहा है तथा विभिन्न उपायों के द्वारा जंगली हाथियों के आतंक को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु इसमें अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, गत् चार वर्षो से अब तक फसल हानि , जन घायल , जन हानि और सम्पत्ति नुकसानी के विभिन्न प्रकरण तथा क्षतिपूर्ति की दी गई राशि निम्नानुसार है :–

फसल हानि एवं सम्पत्ति नुकसानी

क्र	वर्ष	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि
1	2001	1214	9,84,441
2	2002	3227	27,17,107
3	2003	484	4,39,795
4	2004	1350	16,34,636
योग --		6275	57,75,979

जन हानि

क्र	वर्ष	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि
1	2001	06	1,20,000
2	2002	21	4,20,000
3	2003	11	6,20,000
4	2004	07	7,00,000
योग --		45	18,60,000

मगरमच्छ परियोजना

वनमंडल जांजगीर चांपा के अन्तर्गत कोटमीसोनार तालाब में मगरमच्छ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य प्रारम्भ रू 5 लाख की राशि आवंटित ।

वन भैंसों का संरक्षण

राज्य के उदन्ती अभ्यारण्य एवं इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसो के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में आवश्यक अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु Wild Life Trust of India के साथ M.O.U. किया जा रहा है।

फारेस्ट स्पाटेड आउटलेट

यह एक प्रकार का बहुत ही विलुप्त प्राय उल्लू प्रजाति का पक्षी है, जिसके छत्तीसगढ़ में पाये जाने का उल्लेख किन्हीं अभिलेखों में मिला है। इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान हेतु पूना स्थित " एनविरोंसर्च " नामक संस्था को विभाग द्वारा अनुबंधित किया गया है। कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु श्री जयंत कुलकर्णी को 50,000 रू. का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया है।

पहाड़ी मैना

पहाड़ी मैना के बाहय स्थलीय / अन्तः स्थलीय संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट पांच वर्ष के लिए क्रमशः रूपये 1.5 लाख एवं रूपये 40.7 लाख का प्रस्ताव जुलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्राणी विज्ञान भवन एम.आर. नया अलीपोरा, कलकत्ता को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति आपेक्षित है।

अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व

अचानकमार – अमरकंटक – बायोस्फियर रिजर्व घोषित करने के लिए स्थानीय भागीदारों की भूमिका एवं प्रबंधन तथा शोध के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला 27 एवं 28 जनवरी 2005 को रायपुर में आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों छत्तीसगढ तथा मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों तथा बायोस्फियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त देश के ख्यातिनाम लैब संस्थानों के अधिकारियों एवं अशासकीय संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया।

अचानकमार – अमरकंटक बायोस्फियर रिज़र्व हेतु केन्द्र शासन को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जा रहा है।

12. उत्पादन

1. विदोहन :

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार पुनरूत्पादन को सुनिश्चित करते हुए कूपों में कटाई की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की गई, जिसके फलस्वरूप विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार उत्पादन हुआ :–

वर्ष	बांस नो. टन		काष्ठ घ. मी.	जलाऊ चट्टे
	औद्यो.	व्यपा.		
2000–01	46715	23431	54851	98588
2001–02	51509	25522	115435	187979
2002–03	54666	27256	156689	250684
2003–04	45561	26834	140678	206985

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु 25 काष्ठागार तथा 11 बांसागार प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में स्थापित हैं। इन आगारों में वर्ष भर काष्ठ/बांस के निर्वर्तन हेतु नीलाम आयोजित किये जाते हैं। औद्योगिक बांस का निर्वर्तन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2004 – 05 में काष्ठ / बांस विदोहन संबंधी उपलब्धि निम्नानुसार है :–

1.1 काष्ठ :–

क्र.	कूप की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर में	लक्ष्य		कटाई	
			ईमारती घ. मी.	जलाऊ चट्टे	ईमारती घ. मी.	जलाऊ चट्टे
1	2	3	4	5	6	7
1.	320	50581	112187	174464	60190	71935

1.2 बांस :–

क्र.	कूप की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर में	लक्ष्य (नो. यूनिट में)		कटाई (नो. यूनिट में)	
			व्यापारिक बांस	औद्योगिक बांस	व्यापारिक बांस	औद्योगिक बांस
1	2	3	4	5	6	7
1.	67	46296	21611	35372	2779	4034

<u>निस्तार व्यवस्था</u>

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्रों के 5 कि.मी. की परिधि के ग्राम वासियों को निस्तार वर्ष 2004 में माह जून 2004 तक निस्तार प्रदाय की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रदाय का प्रकार	वनोत्पाद	निर्धारित लक्ष्य	प्रदायित मात्रा
निस्तार प्रदाय	बांस	3776600 नग	28,65,843 नग
	बल्ली	147145 नग	73,863 नग
	इमारती काष्ठ	171 घ.मी.	481 घ. मी.
	जलाऊ चट्टे	67313 चट्टे	21,684 चट्टे
उपभोक्ता प्रदाय	बांस	1544500 नग	2,38,125 नग
	बल्ली	55900 नग	51,996 नग
	ईमारती काष्ठ	209 घ. मी.	567 घ. मी.
	जलाऊ चट्टे	18280 चट्टे	22,109 चट्टे

<u>बसोडों को बांस प्रदाय:–</u>

शासन द्वारा बसोड़ों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 1500 बांस रायल्टी मुक्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। पानबरेजा परिवारों को भी प्रति वर्ष 1000 बांस बिना रायल्टी लिए डिपो से प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। जून – 2004 तक 5325 पंजीकृत बसोड़ो के लिए 334 डिपो में 26,76,623 नग बांस रखा गया है, जिसमें से 21,27,940 नग बांस प्रदाय किया गया है।

13 वित्त एवं बजट

13.1 वन राजस्व

वर्ष 2004–2005 में राजस्व प्राप्ति का कुल संशोधित लक्ष्य रू. **153.50 करोड़** है। दिसम्बर 2004 तक रू. 112.73 **करोड़** राजस्व की प्राप्ति हुई है।

13.2 आबंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2004 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रुपये में)

मद	बजट प्रावधान	दिसम्बर 2004 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर	25019.67	14739.98
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	5388.79	1678.42
मांग संख्या 41– 2406 आयोजना	3914.95	1751.34
मांग संख्या 64– 2406 आयोजना	407.50	80.83

14. लघु वनोपज का संरक्षण एवं संवर्धन

प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब लोगों के जीविकापार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है । इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है । वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे – तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा) का संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है ।

वर्ष 2004 में तैयार की गई नवीन तेन्दूपत्ता नीति के अंतर्गत समितियों द्वारा संग्रहित किये गये हरे तेन्दूपत्ते को अग्रिम में नियुक्त केता को फड़ पर ही प्रदाय किया गया । इसके उपरांत तेन्दूपत्ते का उपचारण, परिवहन एवं भंडारण उक्त केता द्वारा ही किया गया । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया । प्रदेश में तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से शाखकर्तन का कार्य अग्रिम में नियुक्त केताओं द्वारा ही किया गया ।

वर्ष 2004 संग्रहण काल में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल 913 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा कराया गया । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीडी बनाने योग्य अच्छी गुणवत्ता का 18.86 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । अग्रिम में नियुक्त केताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 14.03 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया । अग्रिम विक्रय में 14.03 लाख मानक बोरा रू. 119.59 करोड़ में निवर्तित किया गया एवं औसत दर रू. 853/– प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष लाट, जिनका अग्रिम विक्रय नहीं हो सका, में संग्रहित 4.84 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का उपचारण समितियों के माध्यम से कराया जाकर भंडारण कराया गया । अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित 4.84 लाख मानक बोरा में से 0.32 लाख मानक बोरा

का निर्वर्तन रू. 3.31 करोड़ में हुआ तथा औसत विक्रय मूल्य रू. 1024/– प्रति मानक बोरा रहा । दिनांक 31.01.2005 की स्थिति में 4.51 लाख मानक बोरा विक्रय से शेष है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2005 में लगभग 18.44 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । 31.01.2005 तक विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 9.70 लाख मानक बोरा रू. 84.48 करोड में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 871/– प्रति मानक बोरा है । दिनांक 31.01.2005 की स्थिति में 8.74 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय से शेष है जिसके निर्वर्तन के प्रयास जारी हैं । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 82.99 करोड की संग्रहण मजदूरी के वितरण का अनुमान है ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 70 प्रतिशत राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाती है । संग्रहण वर्ष 2002 के तेंदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से रू. 39.52 करोड़ का वितरण तेन्दूपत्ता संग्राहकों को किया जा चुका है । संग्रहण वर्ष 2003 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से लगभग रू. 33.08 करोड़ के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण का कार्य लगभग समाप्ति पर है ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999, 2000, 2001 एवं 2002 के तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ से रू. 26.08 करोड़ की राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध हुई, जिसमें से 31.01.2005 तक रूपये 20.47 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत किये गए तथा रूपये 17.03 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं ।

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना हेतु संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को रूपये 3.28 करोड़ का भुगतान किया गया । जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2003–2004 में कुल 16557 प्रकरणों में रूपये 7.14 करोड की दावा राशि का भुगतान किया गया । वित्तीय वर्ष 2004–05 में दिसंबर 2004 तक 9495 दावों का निराकरण कर राशि रूपये 3.38 करोड़ का भुगतान किया गया ।

तेन्दूपत्ता के अतिरिक्त प्रदेश में विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे हर्रा, गोंद वर्ग –1 कुल्लू एवं गोंद वर्ग –2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन/संग्रहण उपरांत विक्रय की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में तेन्दूपत्ता के वैज्ञानिक भंडारण हेतु 1.06 लाख मैट्रिक टन क्षमता (लगभग 6.36 लाख तेन्दूपत्ते बोरे) के 47 गोदामों जिनकी, अनुमानित लागत रू. 17.98 करोड़ है, के निर्माण का कार्य, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से रूपये 16.18 करोड़ का ऋण, जिसमें रूपये 3.97 करोड़ का अनुदान सम्मिलित है, प्राप्त कर किया गया है । गोदामों के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने एवं मानव केन्द्रित सतत् वन विकास (People Centered Sustainable Forest Development) की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये लघु वनोपज संघ मुख्यालय में एक राज्य स्तरीय कार्यदल ''छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं अन्य लघु वनोपज के संरक्षण, विकास, उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से आजीविका सुरक्षा कार्यदल'' का गठन किया गया है ।

प्रारम्भ में प्रदेश में लोक संरक्षित वनों की स्थापना हेतु बिलासपुर, मरवाही, धरमजयगढ, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, पूर्व सरगुजा, पूर्व भानुप्रतापपुर, एवं जगदलपुर जिला यूनियनों का चयन किया गया । इस योजना के तहत प्रत्येक जिला यूनियन में वर्ष 2001–02 से स्थलीय संवर्धन (In-situ conservation) कार्य के अन्तर्गत जैव विविधता से भरपूर 1000 हे. क्षेत्र का प्रत्येक वर्ष चयन किया जाकर इस क्षेत्र में भूमि तथा जल संरक्षण, सी.

बी.ओ. तथा लघु वनोपज/वनौषधियों के सर्वेक्षण, संरक्षण, विकास, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन संबंधी कार्य किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरबेरियम निर्माण, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण के कार्य भी किये जा रहे हैं । बाह्य स्थलीय संरक्षण (Ex-situ conservation) के अंतर्गत जड़ी–बूटी की ऐसी प्रजातियां, जिनकी कि खेती लाभकारी है, का रोपण किया जा रहा है तथा नर्सरी की स्थापना की गई है । इन क्षेत्रों से कृषक पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू. 118.20 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2002–03 में स्वीकृत 3 वर्षीय सुश्रुत वन योजना नारायणपुर, पूर्व रायपुर, कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, खैरागढ़, राजनांदगांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा एवं उत्तर कोण्डागांव जिला यूनियनों में कियान्वित हो रही हैं । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला यूनियन में 50 हेक्टेयर में अंतः स्थलीय संवर्धन एवं 2 हेक्टेयर में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा रहा है । इस योजना में 9 जिला यूनियनों में स्वीकृत राशि रु. 225 लाख के विरुद्ध 135.30 लाख व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधे तैयार करने हेतु रु. 27.50 लाख लागत के 3 वर्षीय 3 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं, जिसके विरुद्ध रु. 14.00 लाख व्यय किया गया एवं 7.28 लाख औषधि पौधे तैयार किये गये ।

धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अंतःस्थलीय संवर्धन के लिये रु. 30.00 लाख, बाह्य स्थलीय संवर्धन के लिये रु. 30.00 लाख, प्रसंस्करण के लिये रु. 30.00 लाख तथा विपणन के लिये रु. 10.00 लाख, कुल रु. 1.00 करोड़ की 3 वर्ष की 4 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत हुई है । अभी तक रु. 18.00 लाख व्यय किया गया है । इसके अतिरिक्त धमतरी वनमण्डल हेतु अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन तथा क्षमता विकास हेतु IRDC, Canada के द्वारा रु. 55. 00 लाख लागत की स्वीकृत 3 वर्षीय परियोजना में वर्ष 2004–05 से कार्य प्रारंभ किया गया है ।

अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु भारत शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग से 2004–05 में रु. 144 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है । राज्य में विभिन्न वनमण्डलों में बहुतायत से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज को चिन्हांकित कर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । माहुल पत्ता से दोना पत्तल निर्माण कार्य 6 जिला यूनियनों में स्वीकृत किये गये है एवं कांकेर जिला यूनियन में लाख उत्पादन योजना प्रारंभ की गई है।

लघु वनोपज एवं औषधि पौधों संबंधित उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु CGCERT नाम की एक स्वतंत्र प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया है ।

सी. जी. हर्बल रायपुर नामक संस्था द्वारा उत्पादकों से नागरमोथा एवं पचौली के क्रय (Buy Back) हेतु सहमति दी गई है तथा इस हेतु रु. 5.00 लाख की जमानत भी संघ में दी गई है । इस संस्था द्वारा आसवन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है ।

अकाष्ठीय वनोपज के व्यापार एवं मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने हेतु तथा पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा भारत शासन के अधिकारियों की एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 03–04 नवम्बर 2004 को रायपुर में किया गया ।

15. राज्य वन विकास निगम

1. गठन का औचित्य :–

मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य में अपना कार्य पूर्वानुसार जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–5–2/वन/2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया ।

2. उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं देश–विदेश में किये गये अनुसंधानों एवं अनुभवों के परिणाम स्वरूप अनुभव किया गया कि विगत 20–25 वर्षों से अनुपचारित रहे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में व्याप्त वन सम्पदा के उचित प्रबंधन एवं सुधार हेतु ऐसे क्षेत्रों में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में सागौन का रोपण किया जाना उचित होगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य में चार परियोजना मंडल अस्तित्व में थे। सितम्बर 2001 से औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा, भिलाई इस्पात संयंत्र एन.एम.डी.सी. डब्ल्यू.सी. एल. एन.सी.एल. छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल आदि संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण उपरांत अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों (सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा) का गठन किया गया, जिनकी कार्य आयोजना समाप्ति की ओर हैं। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर में कुल आठ परियोजना मंडल कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का पंजीकृत मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में डी–252/253, सेक्टर–5, देवेन्द्र नगर, रायपुर में स्थित है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आठ परियोजना मण्डल हैं :–

1. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर (स्थापना वर्ष 30–10–1975 एवं क्षेत्रफल 32763.318 हे.)
2. कोटा पंडरिया परियोजना मण्डल, बिलासपुर (स्थापना वर्ष 30–10–1975 एवं क्षेत्रफल 29242.768 हे.)
3. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव (स्थापना वर्ष 17–12–1976 एवं क्षेत्रफल 41404.480 हे.)
4. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर (स्थापना वर्ष 17–12–1976 एवं क्षेत्रफल 42921.969 हे.)
5. औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल, बिलासपुर (स्थापना वर्ष 23–08–2001)
6. मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़ (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 12662.416 हे.)
7. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 20191.442 हे.)
8. कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा (स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 11643.350 हे.)

3. आधार एवं आवश्यकता :–

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के पालन में कम उत्पादकता वाले वनक्षेत्रों के संस्थागत् वित्त की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत की गई थी। वन विकास निगम द्वारा निम्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैः–

क – सागौन व बांस का रोपण ।

ख – बिगड़े वनों का सुधार ।

ग – विभिन्न शासकीय उपक्रमों व संस्थाओं हेतु रोपण।

इनमें से प्रथम दो योजनाएं बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर एवं तीसरी योजना विभिन्न उपक्रमों व संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई राशि से संचालित की जा रही है ।

4. **परियोजना मंडल का कुल क्षेत्रवार एवं रोपित रकबा (हेक्टेयर में) 1976 से जुलाई 2000 की स्थिति में**

(छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम विभाजन के पूर्व)

परियोजना मंडल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)				
		सागौन	बांस	मिश्रित	सिंचित वृ. रो. (सागौन/बांस)	योग
बारनवापारा	32429.629	17218.780	3033.000	2581.000	35.00	**22867.78**
कोटापंडरिया	29242.768	14524.724	5693.970	640.777	72.24	**20931.71**
पानाबरस	41401.480	17403.556	10336.784	27.690	30.00	**27798.03**
अंतागढ़	42921.969	12600.650	381.880	604.000	14.00	**13600.53**
कवर्धा	11643.350	-	-	-	-	
सरगुजा	20191.442	-	-	-	-	
मनेन्द्रगढ़	12662.416	-	-	-	-	
योग	**190493.054**	**61747.71**	**19445.634**	**3853.467**	**151.24**	**85958.0**

5 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन के पश्चात् वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 में किए गए वृक्षारोपण

रोपण वर्ष	बारनवापारा परियोजन मंडल रायपुर	कोटापंडरिया परियोजना मंडल बिलासपुर	पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव	अंतागढ़ परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर	कवर्धा परियोजना मंडल कवर्धा	मनेन्द्रगढ़ परियोजना मंडल मनेन्द्रगढ़	औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मंडल बिलासपुर	योग		
								सागौन	बांस	मिश्रित
	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)	रकबा (हे.)
1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2001	800	740.75	289.00	--	-	-	240.00	1829.75	--	240.00
2002	765	869.70	937.00	--	-	-	190.00	2571.40	--	190.00
2003	821	815.18	907.00	713.00	-	-	270.71	3256.18	105.00	270.71
				105.00						
2004	634	600.00	697.50	725	63	59.36	340	2719.500	59.360	340.02

6. **उच्च तकनीक वृक्षारोपण :–**

उपरोक्त रोपणों के साथ ही वर्ष 97 से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिनके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :

(वर्ष 1997 से 2004 तक)

परियोजना मंडल का नाम	रोपण का वर्ष एवं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	योग
बारनवापारा	10	10	15	—	—	—	—	35
कोटा पंडरिया	1.77	—	20.47	25	25	25	—	97.24
पानाबरस	10	10	10	—	—	—	—	30
अंतागढ़	14	—	—	—	—	—	10	24
योग	35.77	20	45.47	25	25	25	10	186.24

परियोजना मण्डलों में सागौन, बांस, मिश्रित वृक्षारोपणों के अलावा पर्यावरण विकास के तहत् विभिन्न संस्थानों में वैकल्पिक वृक्षारोपणों का कार्य औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । **वर्ष 2001 से 2004 तक औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा 2602276 पौधों का रोपण किया गया है ।**

7. वर्ष 2005 वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उप
पौधों की जानकारी

परियोजना मंडल का नाम	वर्ष 2005 रोपणी हेतु		अनुमानित पौधों की संख्या
	आवश्यक बीज की मात्रा	बेड संख्या	
बारनवापारा	200 Qtl.	5000	30,00,000
कोटा पंडरिया	200 Qtl.	4500	20,00,000
पानाबरस	200 Qtl.	4000	28,00,000
अंतागढ	200 Qtl.	4000	27,00,000
कवर्धा	50 Qtl.	500	3,50,000
	850 Qtl.	**18000**	**1,08,50,000**

8. वर्ष 2005 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य :-

क्र.	परियोजना मंडल का नाम	सागौन (हेक्टेयर)
1.	बारनवापारा	1000
2.	कोटा पंडरिया	1000
3.	पानाबरस	1000
4.	अंतागढ	1000
5.	कवर्धा	200
6.	सरगुजा	—
7.	मनेन्द्रगढ़	—
	योग	**4200**

(लगभग 66,50,000 पौधे)

औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल में मिश्रित प्रजाति के 8,00,000 पौधे लगाये जावेंगे।

9. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन के पश्चात् वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 में निगम के क्षेत्रों में विदोहन से प्राप्त वनोपज की जानकारी

परियोजना मण्डल का नाम	वास्तविक उत्पादन			
	काष्ठ	जलाऊ	व्या. बांस	औद्यो. बांस
	(घ.मी.)	(नग)	(नो. ट.)	(नो. ट.)
बारनवापारा परियोजन मंडल रायपुर	483.130	2415.000	101.205	88.160
कोटापंडरियां परियोजना मंडल बिलासपुर	7694.300	8871.000	296.961	46.017
पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव	4603.063	6907.000	295.570	330.138
अंतागढ़ परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर	7742.458	21747.000	14.326	37.997
कवर्धा परियोजना मंडल कवर्धा	249.346	8.000	-	-
योग :-	**20772.297**	**39948.000**	**708.062**	**502.312**

10. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्ष 2004–05 का बजट एवं माह दिसम्बर 04 तक उपलब्धि ।

	लक्ष्य वर्ष 2004–2005	उपलब्धि माह दिसम्बर 2004 तक
प्राप्ति	4164.12	3330.94
व्यय	3243.04	1833.03